कार्यालय उप वन संरक्षक, दौसा

(कलेक्ट्रेट के पास भाकरी रोड दौसा, (Phone & Fax No. 01427-223304, Email-dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in))

क्रमांक एफ ( )एफ.सी.ए / उवसं / 2020–21 / 2663 दिनांक : 16/03/2021

निमित्त

मुख्य संरक्षक
अरावली भवन,जयपुर

विषयः– डवलपमेन्ट आफ रोड मेहन्दीपुर बालाजी बाइपास के अन्तर्गत उदयपुरा से टोडाभीम बाईपास सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव संख्या एफ / पी / आरजे / रोड़ / 2622 / 2017 के संबंध में।

संदर्भः– आप द्वारा ऑनलाइन जारी EDS दिनांक 03.03.2021 I

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक Letter No.F 14 ()2016/FCA/PCCF/CCF EDS-1 Dated 07-08-2018 से उदयपुरा से टोडाभीम बाईपास सड़क निर्माण के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे आ रहीं भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में जारी EDS (प्रति संलग्न) का बिन्दुवार जवाब तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेपों का जवाब
1.	मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा पार्ट–III में 0.99 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गई है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वन मंडल दौसा के द्वारा मात्र 0.4896 है0 वन क्षेत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः संशोधित पार्ट–III संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।
2.	उप वन संरक्षक करौली के ऑनलाईन प्रस्ताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया जबकि हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट–II में अंकित नहीं है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गई है।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।
3.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तन वन भूमि का दुगना क्षेत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक दौसा द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नहीं ली गई है। प्रस्ताव 1 है0 से कम का है अतः काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षो का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स अंकित नहीं किये गये है। एवं जी0टी0शीट भी उचित स्केल पर अपलोड़ नहीं की गई है।	इस कार्यालय द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव मय CA SCHEME FOR 100 PLANTS,"LAND SUITABILITY CERTIFICATE , CA SCHEME DGPS MAP,CA SCHEME TOPOSHEET MAP इस कार्यालय के पत्रांक 5888 दिनांक 15.12.2020 से भिजवा दिये गये है।
4.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गई है। जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनवाई जा सकती है। तदनुसार संशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।
5.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा पार्ट–I एवं पार्ट–II किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जो प्रस्तावित है।	उक्त की पूर्ति कर दी गई है।
6.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति पूर्व में ही कर दी गई है।

	विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	
7.	एरिया केलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षेत्र पी0एफ0 अंकित किया गया है। जबकि करौली जिले का वन क्षेत्र आरक्षित वन की श्रेणी में आता है संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
8.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट–I के बिन्दु संलग्न डी.जी.पी.एस मैप में वन भूमि के सम्पूर्ण कानर्स के अक्षांश देशान्तर संलग्न नहीं किये गये है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
9.	यूजर ऐजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अवगत कराया गया है इस पर उप वन संरक्षक करौली एवं दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विकल्पों का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है।	इस कार्यालय के पत्रांक 5888 दिनांक 15.12.2020 से उक्त की पूर्ति कर दी गई है।
10.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौड़ाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
11.	प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चेनऐज संख्या 0/220 से 0/937 तक पहाडी क्षेत्र में सडक निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न कॉस सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाडी क्षेत्र में सडक बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रस्ताव में पहाडी की कटाई सम्मिलित है कटाई के दौरान निकाले गये मलबा के संबंध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
12.	यूजर ऐजेन्सी दोनो प्रस्तावो को सम्मिलित कर एक्जाई प्रस्तुत करें एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत किये जावें।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।

भवदीय

(वी. केतन कुमार)
उप वन संरक्षक,
दौसा

कमांक/सम/ 264-66 दिनांकः– 16/03/2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर।
2. जिला कलक्टर, दौसा ।
3. अधीशषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग खण्ड सिकन्दरा,दौसा।

उप वन संरक्षक,
दौसा